

आवेदक/जमानतदार हरि सिंह की ओर से श्री एम0एस0यादव अधिवक्ता उपस्थित। उन्होंने प्रकरण आज पेशी में लिये जाने का निवेदन किया विचार उपरांत प्रकरण आज पेशी में लिया गया।

श्री यादव अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदन हरि सिंह की मुचलका जप्ती की राशि जमा होना है जिसे जमा करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में संलग्न माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की आपराधिक अपील क्रमांक 564/2000 में पारित निर्णय दिनांक 03.10.2007 का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदन/जमानतदार हरि सिंह पुत्र जोहरी सिंह द्वारा सत्रवाद क्रमांक 240/99 में आरोपी राजू की 25000 रुपए की जमानत पेश की गयी थी। आरोपी अनुपस्थित हो जाने के कारण यह प्रकरण उपरोक्त राशि की वसूली हेतु जमानतदार हरि सिंह के विरुद्ध कायम किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में स्पष्ट रूप से इस न्यायालय को आदेश दिया गया है कि जमानत की उक्त राशि 25000 रुपए में से 15000 रुपए एक माह में जमा करें तो उक्त वसूली बावत् कायम किया गया प्रकरण समाप्त किया जावे।

आवेदन हरि सिंह की ओर से श्री एम0एस0 यादव अधिवक्ता द्वारा 15000 रुपए जमा किये जो रशीद क्रमांक 87 बुक क्रमांक 6886 पर जमा कर रशीद दी गयी। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही होना शेष नहीं है। अतः प्रकरण का सार अंकित पंजी कर प्रकरण दाखिल अभिलेखागार हो।

(एस0के0 गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)